–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 62 /2023

उनवान

1. नारायण पुत्र गोपी सिंह
2. नारायणी पुत्री गोपी सिंह समस्त समस्त जाति रावत नि0 खापरी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेम पत्नी केसर
2. मुकेश पुत्र केसर
3. राकेश पुत्र केसर समस्त जाति रावत नि0 खापरी, नसीराबाद
4. उप पंजीयक, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत
8 व 9 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 5/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खापरी में स्थित खाता संख्या 122/125 किता 9 रकबा 1.74 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के कबजे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा भूमि को अन्यत्र बैचान हस्तांतरण कर हडपने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकत्र ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलदांजी नही की हैं। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों पर उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण को चाहा गया अनुतोष नही दिया जावे।

राज. पैरोकर ने जवाब नही पेश करना जहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम खापरी में स्थित खाता संख्या 122/125 किता 9 रकबा 1.74 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी का बैचान नही किया जा सकता है। किन्तु अविभाजित आराजी पर प्रत्येंक सहखातेदार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:04 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बराबर–बराबर अधिकार होता है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने व भूमि के विशिष्ठ भू भाग का बैचान करने का को कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण को मौके पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करने व भूमि के विशिष्ठ भू भाग का बैचान नही करने से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। शेष तथ्य मूल वाद में निर्णित होगे। प्रकरण के खण्डन के कोई तथ्य पत्रावली पर नही है अतः प्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अविभाजित है। अविभाजित आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल व्यवधान करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः खापरी में स्थित खाता संख्या 122/125 किता 9 रकबा 1.74 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विशिष्ठ भू–भाग का बैचान नही करें पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:04 IST
Reason: SelfAttested